

न्यायिक माजस्ट्रेट प्रथम क्लास-3
जिला-रीवा (म0प्र0)

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ।

13.10.22

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री अभिषेक सिंह
उपस्थित।

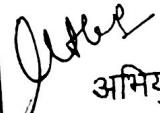
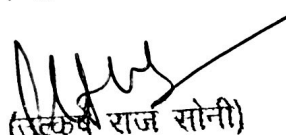
प्रकरण राजीनामा आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत
है।

राजीनामा आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण
किये गये।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपीगण
के विरुद्ध धारा 294, 323 सहपठित धारा 34, 341, 506
भाग-2 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है
जिसमें धारा 323/34, 341 भा.द.वि. न्यायालय की अनुमति
के बिना आहत द्वारा शमनीय हैं एवं धारा 294 एवं 506
भाग-2 भा.द.वि. न्यायालय की अनुमति से आहत द्वारा
शमनीय हैं। चूंकि उभयपक्षों ने स्वैच्छयापूर्वक स्वतंत्र सहमति
से, स्वस्थ चित्त होते हुए बिना किसी भय दबाव या लालच
के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए उभयपक्ष की ओर
से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(1) एवं 320(2) दं.प्र.
सं अभियुक्तगण पर सभी आरोपित धाराओं के संबंध में
स्वीकार किया जाता है। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दंड
संहिता की धारा 294, 323 सहपठित धारा 34, 341, 506
भाग-2 भा.द.वि. के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त कर**
स्वतंत्र घोषित किया जाता है।

दिनांक

Order ceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	parties or Pleaders where Necessary
	 अभियुक्तगण विचारण के दौरान जमानत, मुचलके पर आजाद रहा है अतः उनके जमानत मुचलके दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए के पालन में छह माह पश्चात भारमुक्त समझे जावे। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा पुलिस अथवा न्यायिक निरोध में कोई अवधि नहीं बितायी गयी है। अतः उक्त अवधि के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि में अभिलेखागार रीवा भेजा जावे।  (उत्केश राज सोनी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हनुमना जिला-रीवा (म0प्र0)	